

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 30/2021(2021/58)

1. रामप्रसाद पुत्र श्री भूरा जाति दर्जी निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री भूरा जाति दर्जी निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. नौरत पुत्र श्री भूरा जाति दर्जी निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब(भू.अ.एवं उपपंजीयक) महोदय केकडी जिला अजमेर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, कार्यालय जिलाधीश अजमेर।

—प्रतिवादीगण

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

1. वादी वकील :- श्री हेमन्त जैन
 2. प्रतिवादी वकील- श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
- पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 30.9.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया ,कि ग्राम कणोंज तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया-पुराना 90-87 के खसरा संख्या 1581, 1582, 1591, 1592, 1593, 826 रकबा 0.23, 0.29, 0.51, 0.90, 0.20, 1.45 हैक्टर कुल किता 6, कुल रकबा 3.58 हैक्टर का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 26.5.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा(है.)	किस्म
1	गोपाल पुत्र भूरा दर्जी सा. देह खातेदार	826	0.48	बा.उत्तम
		1581	0.08	बा.प्रथम
		1582	0.0933	बा.प्रथम
		1591	0.1700	बा.प्रथम
		1592	0.3000	बा.प्रथम
		1593	0.07	बा.प्रथम
		कुल किता 6	कुल रकबा 1.1933	
2	नौरत पुत्र भूरा दर्जी सा.देह खातेदार	826/1	0.48	बा.उत्तम
		1581/1	0.08	बा.प्रथम
		1582/1	0.0933	बा.प्रथम
		1591/1	0.17	बा.प्रथम
		1592/1	0.30	बा.प्रथम
		1593/1	0.07	बा.प्रथम
		कुल किता 6	कुल रकबा 1.1933	
3	रामप्रसाद पुत्र भूरा दर्जी सा.देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी शाखा जूनिया	826/2	0.49	बा.उत्तम
		1581/2	0.07	बा.प्रथम
		1582/2	0.1034	बा.प्रथम
		1591/2	0.1700	बा.प्रथम
		1592/2	0.3000	बा.प्रथम
		1593/2	0.0600	बा.प्रथम
		कुल किता 6	कुल रकबा 1.1934	



उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)



तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में वादी व प्रतिवादी का हिसाब अलग-अलग रंगों से चिह्नित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी एवं प्रतिवादी मौके पर उपस्थित रहे उनके हस्ताक्षर कराये गये। वकील पक्षकारान को सुना गया।
 वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया। वादी पक्षकारान राजरव रिकोर्ड अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दरतावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खराबा नंबर	रकबा	किरम
1	गोपाल पुत्र भूरा दर्जा सा. देह खातेदार	826	0.48	वा.उत्तम
		1581	0.08	वा.प्रथम
		1582	0.0933	वा.प्रथम
		1591	0.1700	वा.प्रथम
		1592	0.3000	वा.प्रथम
		कुल किरा 6	कुल रकबा 1.1933	
2	नोरत पुत्र भूरा दर्जा सा.देह खातेदार	826/1	0.48	वा.उत्तम
		1581/1	0.08	वा.प्रथम
		1582/1	0.0933	वा.प्रथम
		1591/1	0.17	वा.प्रथम
		1592/1	0.30	वा.प्रथम
		कुल किरा 6	कुल रकबा 1.1933	
	रामप्रसाद पुत्र भूरा दर्जा सा.देह खातेदार साहिन वी.ओ.वी शाखा जूनिया	826/2	0.49	वा.उत्तम
		1581/2	0.07	वा.प्रथम
		1582/2	0.1034	वा.प्रथम
		1591/2	0.1700	वा.प्रथम
		1592/2	0.3000	वा.प्रथम
		कुल किरा 6	कुल रकबा 1.1934	वा.प्रथम

तहसीलदार केकडी राजरव रेकार्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करें। इस आशय का डिक्ली पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।
 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकल्प पत्रावली)
 उपखण्ड अधिकारी
 केकडी (राजसूरी)



मूल वाद में अंतिम छिन्की
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:— विकास पंतोली (आ.र.ए.एस.)
उत्तमान

1. रामप्रसाद पुत्र श्री भूरा जाति दर्जी निवासी कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर
बनाम
---वादी

1. गोपाल पुत्र श्री भूरा जाति दर्जी निवासी कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. नौरत पुत्र श्री भूरा जाति दर्जी निवासी कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब(भू.आ.ए.व उपपंजीयक) महोदय केकडी जिला अजमेर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, कार्यालय जिलाधीश अजमेर।

वाद पत्र— अंतर्गत धारा 53,188,209 राज.कारतकारी अधिनियम

—प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर— राजस्व वाद 30 / 2021 (2021 / 58)
निर्णय दिनांक— 30.9.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिन्साल कर्तई रूबरू श्री विकास पंतोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी वहाजिरी श्री हेमन्त जैन वकील वादी व श्री हनुमान प्रसाद शर्मा वकील प्रतिवादी पैसेकार सरकार जर्मै तहसीलदार तहसीलदार केकडी हाजिर मुर्दावलाह पेश कर हुयम दिया जाता है वाद पत्र— अंतर्गत धारा 53,188,209 राज. कारतकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर स्थायी जमाबंदी के खाता संख्या नया—पुराना 90—87 के कुल किता 6 कुल रकबा 3.58हैक्टर निर्णय व प्रारम्भिक छिकरी दिनांक 26.5.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
2	गोपाल पुत्र भूरा दर्जी सा. देह खातेदार	826	0.48	वा.उत्तम
		1581	0.08	वा.प्रथम
		1582	0.0933	वा.प्रथम
		1591	0.1700	वा.प्रथम
		1592	0.3000	वा.प्रथम
		1593	0.07	वा.प्रथम
3	नौरत पुत्र भूरा दर्जी सा. देह खातेदार	कुल किता 6	कुल रकबा 1.1933	
		826 / 2	0.48	वा.उत्तम
		1581 / 2	0.08	वा.प्रथम
		1582 / 1	0.0933	वा.प्रथम
		1591 / 1	0.17	वा.प्रथम
		1592 / 1	0.30	वा.प्रथम
		1593 / 1	0.07	वा.प्रथम
3	रामप्रसाद पुत्र भूरा दर्जी सा. देह खातेदार राहिन बी.ओ. बी शाखा जूनिया	कुल किता 6	कुल रकबा 1.1933	
		826 / 2	0.49	वा.उत्तम
		1581 / 2	0.07	वा.प्रथम
		1582 / 2	0.1034	वा.प्रथम
		1591 / 2	0.1700	वा.प्रथम
		1592 / 2	0.3000	वा.प्रथम
		1593 / 2	0.0600	वा.प्रथम

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का छिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्तेन अपना अपना वहन करे।

बीज मुब्तिक..... बावत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....
को अदा करे

वसूल मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.9.2022 को जारी की गई।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

